PUEA/015/2021

दिनांकः 01.12.2021

सेवामें,

मानीय कुलपति
पटना विश्वविद्यालय,
पटना ।

विषय:– मांगो की पूर्ति करने के संबंध में ।

महाशय,

पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ तथा शिक्षक संघ की संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन दिनांक 13.09.2021 को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ–साथ महामहिम, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री एवं इससे संबंधित सभी विभागों को दिया गया था पर आज तक मांगो पर कोई कारवाई न होने की स्थिति में पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 27.11.2021 को आहूत किया गया । **उक्त में निर्णय लिया गया कि दिनांक 14.12.2021 तक नीचे दिये गये मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो दिनांक 15.12.2021 से 18.12.2021 तक पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ के सभी सदस्य काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य करेंगे।** इससे विश्वविद्यालय पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के लिए सभी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी ।

निम्नलिखित मुख्य मांग–

1. मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा पर नियुक्ति ।
2. दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के 7वॉं वेतनमान के बकाये वेतन अन्तर राशि का भुगतान करने।
3. ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत बचे हुए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, प्रोन्नति/नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एवं वेतन अन्तर राशि का भुगतान करने।
4. प्रोन्नति के परिणामस्वरूप शिक्षकों का छठे वेतनमान का दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक के बकाये वेतन अन्तर राशि का भुगतान करने।
5. महामहिम राज्यपाल द्वारा निर्गत परिनियम के अनुसार शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों के पदों पर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की प्रोन्नति तथा प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति करने ।
6. सीनेट में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व **एक** से बढ़ाकर **पाँच** करने तथा सिंडिकेट में **एक** कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल करने ।
7. विश्वविद्यालय के परिनियत समितियों की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को शामिल करने।
8. नई पेंशन स्कीम के संबंध में राजभवन द्वारा जो परिनियम (Statute) निर्गत किया गया है उसे पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू करने ।
9. जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा **दो** वर्ष पूर्ण हो गयी है, उनकी सेवा सम्पुष्टि करने।
10. विश्वविद्यालय में ग्रेड–III एवं समूह 'घ' के खाली पदों पर प्राथमिकता के आधार पर खुले विज्ञापन के द्वारा नियुक्ति करने ।
11. श्री एस० अली० अब्बास, लेखापाल, पटना कॉलेज का निलबन वापस करने ।
12. पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ को कार्यालय आवंटित करने ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR
RECEIVED
01.12.2021
PATNA UNIVERSITY

महासचिव
संयुक्त सचिव
पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ

महासचिव
पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

ज्ञाप सं0– PUEA/015/2021 दिनांक– 01/12/2021

प्रतिलिपिः– (1) माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना (2) माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार, पटना (3) प्रधान सचिव, राजभवन, राज्यपाल सचिवालय, पटना (4) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (5) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (6) सभी पदाधिकारीगण, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

महासचिव संयुक्त सचिव
पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ

महासचिव
पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

ज्ञाप सं0– PUEA/015/2021 दिनांक– 01/12/2021

प्रतिलिपिः– (1) सभी संकायो के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय (2) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय (3) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, पटना विश्वविद्यालय (4) सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय (5) सभी छात्रावासो के अधीक्षक (यू0 जी0 एवं पी0 जी0 छात्रावास), पटना विश्वविद्यालय (6) पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी संबंधित संस्थानों के संस्थानाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

महासचिव संयुक्त सचिव
पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ

महासचिव
पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ